


18/03  
2024

पत्रावली भिजा हुई। वकील गार्फी उप.।  
गार्फी अधिवक्ता द्वारा Not Press की दिवशी की।  
अतः पत्रावली इसी स्तर पर भिजी के अभाव में  
कार्रिज की जाती है। पत्रावली दायिबल दफ्तर है।



सहायक कलक्टर किर्क पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली